दिनांक 18.08.2025
प्रेस विज्ञप्ति 27/2025

मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश।

एस0टी0एफ0–जनपद मुजफ्फरनगर व बागपत के कई अभियोगों में वांछित एवं लगभग 12 वर्ष से फरार रू0 2,00,000/– का पुरस्कार घोषित अभियुक्त हरीश गिरफ्तार।

दिनांक 18–08–2025 को एस0टी0एफ0, उत्तर प्रदेश को लगभग 12 वर्ष से फरार थाना भौराकलां, जनपद मुजफ्फरनगर पर पंजीकृत मु0अ0सं0 186/12 धारा 386/342/323 भादवि, मु0अ0सं0 45/17 व मु0अ0सं0 01/18 धारा 307 भादवि एवं थाना तितावी, जनपद मुजफ्फरनगर में पंजीकृत मु0अ0सं0 179/12 धारा 307 भादवि एवं जनपद बागपत के थाना कोतवाली में पंजीकृत मु0अ0सं0 355/13 धारा 307 भादवि एवं मु0अ0सं0 735/14 धारा 174ए भादवि में वांछित रू0 2,00,000/–(दो लाख रूपये) का पुरस्कार घोषित अपराधी हरीश को गिरफ्तार करने में उल्लेखनीय सफलता प्राप्त हुई।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरणः

हरीश पुत्र ब्रहमपाल निवासी ग्र्राम भौराखुर्द थाना भौराकंला, जनपद मुजफ्फरनगर।

गिरफ्तारी का दिनांक एवं स्थान/समयः–

दिनांक 18–08–2025 समयः 13.25 बजे, स्थान–भैसाली बस अडडे के पास मेरठ।

एस0टी0एफ0 उ0प्र0 लखनऊ द्वारा वांछित एवं पुरस्कार घोषित अपराधियों के कुख्यात/सक्रिय अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु एस0टी0एफ0 उ0प्र0 की विभिन्न टीमों/फील्ड इकाईयों को अभिसूचना संकलन एवं कार्यवाही हेतु निर्देशित किया गया था। इसी क्रम में श्री बृजेश कुमार सिंह, अपर पुलिस अधीक्षक, एस0टी0एफ0 फील्ड इकाई, मेरठ के निर्देशन में एस0टी0एफ0 फील्ड इकाई, मेरठ की टीम द्वारा अभिसूचना संकलन की कार्यवाही की जा रही थी।

दिनांक 18–08–2025 को उप–निरीक्षक जयवीर सिंह के नेतृत्व में हे0कां0 रकम सिंह, हे0कां0 रोमिश तोमर, हे0कां0 प्रदीप धनकड, हे0कां0 आकाशदीप एंव हे0कां0 भूपेन्द्र सिंह एस0टी0एफ0 टीम भ्रमणषील थी, कि इसी दौरान जरिये मुखबिर सूचना प्राप्त हुई कि जनपद मुजफ्फरनगर एवं जनपद बागपत के कई अभियोगों में वांछित रू0 02 लाख रूपये का ईनामी अपराधी हरीश कही जाने की फिराक में भैसाली बस अडडे पर आने वाला है। इस सूचना पर विश्वास कर एसटीएफ टीम द्वारा भैसाली बस स्टैण्ड के पास से अभियुक्त हरीष को गिरफ्तार कर लिया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त से की गयी पूछताछ पर निम्न तथ्य प्रकाश में आये हैं:-

अभियुक्त हरीश की उम्र लगभग 45 वर्ष है जो पश्चिमी उ0प्र0 में वर्ष–2004 से अपराध में संलिप्त रहा है। इसके पिता गांव में खेती करते थे तथा इसका बडा भाई सतीश भी अपराधी किस्म का व्यक्ति था। वर्ष 1992 में इसके गांव के इन्द्रपाल व रतन सिंह के परिवार से इसके परिवार का झगडा हुआ था तब इसकी उम्र 12 साल थी। इस झगडे में फैसला हो गया था। वर्ष–1994 में टयूबवैल पर एक व्यक्ति की हत्या हुई थी, जिसमे इन्द्रपाल ने इसके ताउ चरण सिंह व सरदार सिंह, परिवारिक भाई संजीव व अजय कुमार को नामजद करा दिया था और वह सभी जेल चले गये थे। जमानत पर छूटने के बाद गेहूॅ कटाई के समय खेतो मे इन्द्रपाल पक्ष के साथ इसके बडे भाई के साथ झगडा हो गया था, जिसमें इसके भाई सतीश ने इन्द्रपाल पक्ष के रतन के भाई की हत्या कर दी थी तथा इन्द्रपाल का चाचा घायल हो गया था। इसमें इसके भाई सतीश, अजय व संजीव, पिता ब्रहमपाल, चाचा विनोद व सतबीर जेल चले गये थे। वर्ष 1996 में इसका चाचा विनोद जमानत पर बाहर आ गया। इसके बाद इसके बाबा तिलकराम सिंह की हत्या इन्द्रपाल व रतन के लडको ने कर दी थी, जिसकी सूचना थाने पर देकर इसके परिवार के लोग घर वापस आ रहे थे तो रास्ते मे इन्द्रपाल व रतन पक्ष के लोगों ने इसके चाचा विनोद, जयपाल व जहान सिंह की हत्या कर दी थी। इसके 3–4 वर्ष बाद दोनों पक्षों का आपस मे फैसला हो गया था। इसके 5–6 साल बाद इसके भाई सतीश ने इन्द्रपाल की हत्या कर दिया। जिसमें सतीश जेल चला गया था। वर्ष 2004 इसका भाई सतीश जेल से बाहर आया और वर्ष 2005 मे प्रधानी का चुनाव लडा और जीत गया। वर्ष 2006 में इसके भाई सतीश की हत्या हो गयी जिसमें इन्द्रपाल का लडका काला, भाई धर्मेन्द्र व चचेरे भाईयों का नाम आया। इसके बाद इसकी पत्नी ने प्रधानी का चुनाव लडा और वह जीत गयी। वर्ष 2006 में इसने शिकारपुर जनपद बुलन्दशहर मे पांच लाख रूपये मे एक मकान खरीदा और अपने बच्चो को वहा रख दिया तथा खुद गांव मे रहता था। वर्ष–2012 में फरारी के दौरान शिकारपुर, बुलन्दशहर मे खरीदे गये मकान में स्वंय भी अपने बच्चो के साथ रहने लगा। शिकारपुर वाले मकान का पता इसकी ससुराल वालो व घरवालो को था इस कारण वर्ष 2014 में शिकारपुर का मकान बेचकर पटियाला पंजाब में जाकर रहने लगा और मकान बनाकर रहने लगा तथा 15 हजार रूपये महीने की सैलरी में परचून की दुकान पर नौकरी करने लगा। वर्ष–2016 मे आटे की कम्पनियों के सेल्समैंन से मिलकर परचून की दुकानों पर आटे की सप्लाई का काम करने लगा।

हरीश उपरोक्त की आपराधिक गतिविधियाँः

- गांव के सुखपाल के घर के सामने से हरीश व उसके परिवार वालों का खेतो मे आना जाना रहता था इसी दौरान सुखपाल हरीश के परिवार वालों पर कुत्ता छोड देता था जब हरीश के परिवार वालो ने इसका विरोध किया तो सुखपाल ने हरीश के भाई जयकुमार की पिटाई कर दी थी व हरीश के परिवार पर गोलियां चलवाई थी। इसके बाद सुखपाल के भाई की एक दुर्घटना मे मौत हो गयी थी, जिसका शक सुखपाल हरीश के परिवार पर करता था।
- वर्ष 2004 में इसने अपने भाई आदेश एवं जयकुमार के साथ मिलकर गांव के सुखपाल नामक व्यक्ति खेत में छिपा हुआ था तो इन्होने सुखपाल के बेटे को गन प्वाईंट पर लेकर सुखपाल को धमकी दी थी कि खेत से बाहर निकलो नही तो तुम्हारे बेटे को गोली मार देगे इसके बाद सुखपाल खेत से बाहर निकला और इन्होने उसकी गोली मारकर हत्या कर दी थी, जिसमें हरीश जेल चला गया था और कुछ समय बाद जमानत पर आ गया था।
- वर्ष 2006 में इसके भाई सतीश की गांव की रंजिश के चलते हत्या कर दी गयी थी। इस हत्या के बाद हरीश ने अपराध जगत में कदम रखा तथा अपने भाई आदेश, ममेरे भाई उपेन्द्र एंव जॉनी निवासी तितावी के साथ मिलकर हत्या, लूट, रंगदारी, अपहरण व जानलेवा हमला जैसे संगीन घटनाओं का अन्जाम दिया।
- वर्ष 2007 में इसने अपने भाईयों के साथ मिलकर अपने गांव के निवासी रमेश झीमर को अपने भाई सतीश की हत्या की मुखबिरी के शक में गांव के बाहर खेतो मे गोली मारकर हत्या कर दी थी, जिसके सम्बन्ध में थाना भौराकला पर अ0सं0 95/07 धारा 302 भादवि पंजीकृत हुआ था।
- वर्ष 2009 में इसने अपने भाई आदेश के साथ मिलकर बस चालक सुरेन्द्र की गोली मारकर हत्या कर दी थी। क्योकि हरीश के भाई सुभाष से मृतक सुरेन्द्र का झगडा हो गया था, इसी रंजिश में दोनों भाईयों ने सुरेन्द्र की हत्या की थी, जिसके सम्बन्ध में थाना भौराकला पर अ0सं0 39/09 धारा 302 भादवि पंजीकृत हुआ था।

- वर्ष 2010 मे इसने अपने साथी उपेन्द्र उर्फ उप्पा नि0 बावली व राहुल नि0 सिसौली के साथ मिलकर अपने गांव के मास्टर राजवीर सिह की स्कूल में बच्चो को पढाते समय गोली मारकर हत्या कर दी थी, यह हत्या गांव के प्रधानी के चुनाव को लेकर की गयी थी, जिसके सम्बन्ध में अ0सं0 12/10 धारा 302/120बी भादवि पंजीकृत हुआ था।
- वर्ष 2010 मे ही इसने अपने भाई आदेश व जोनी निवासी तितावी के साथ मिलकर श्रीमोहन ठेकेदार नि0 तितावी, मु0नगर की गोली मारकर हत्या कर दी थी, श्रीमोहन से जोनी का ठेकेदारी को लेकर विवाद चल रहा था, इसी कारण उसकी हत्या की गयी थी, जिसके सम्बन्ध में अ0सं0 513/10 धारा 302/120बी भादवि थाना तितावी मु0नगर पर पंजीकृत हुआ था। उक्त घटनाओं में वर्ष 2010 में यह जेल चला गया और वर्ष 2012 में जमानत पर बाहर आया।
- जमानत पर छूटने के बाद वर्ष 2012 में हरीश ने अपने साथियों के साथ मिलकर अपने गांव के मदन का अपहरण कर रंगदारी मॉगी गयी थी तथा रंगदारी न मिलने पर उसकी कई दिनो तक खेतो में पिटाई करता रहा तथा उसे गम्भीर हालत मे खेतो मे डालकर फरार हो गये थे, जिसके सम्बन्ध में अ0सं0 186/12 धारा 386/342/323 भादवि थाना भौराकलां, मु0नगर पर पंजीकृत हुआ था तथा यह तभी से फरार चल रहा था।
- हरीश के परिवार कें मॉ, बाप एवं भाई सभी मारे जा चुके हैं। हरीश के भाई आदेश की वर्ष 2019 में एसटीएफ से हुई मुठभेड में मृत्यू हो गयी थी, जिस पर सवा लाख रूपये का पुरस्कार घोषित था।

गिरफ्तार अभियुक्त हरीश को थाना भौराकलां जनपद मुजफ्फरनगर में दाखिल किया गया है। अग्रिम वैधानिक कार्यवाही स्थानीय पुलिस द्वारा की जा रही है।

<u>गिरफ्तार अभियुक्त हरीश का अपराधिक इतिहास</u>

क0सं0	मु0अ0स0	धारा	थाना	जनपद
1	53/04	302, 148, 149, 147 भादवि	भौराकलां	मु0नगर
2	95/07	302 भादवि	भौराकलां	मु0नगर

3	119/07	25/30 ए एक्ट	भौराकलां	मु0नगर
4	120/07	25 ए एक्ट	भौराकलां	मु0नगर
5	110/07	25 ए एक्ट	भोपा	मु0नगर
6	214/27	414,102 भादवि	भोपा	मु0नगर
7	308/08	3/4 गुण्डा एक्ट	भौराकलां	मु0नगर
8	43/08	302, 201, 120बी भादवि	फुगाना	मु0नगर
9	201/09	392 भादवि	काधंला	शामली
10	12/10	302, 120बी भादवि	भौराकलां	मु0नगर
11	39/09	302 भादवि	भौराकलां	मु0नगर
12	158/10	384, 386, 506 भादवि	भौराकलां	मु0नगर
13	108/10	25 ए एक्ट	भौराकलां	मु0नगर
14	107/10	2/3 गैंगस्टर एक्ट	भौराकलां	मु0नगर
15	116/10	एनएसए	भौराकलां	मु0नगर
16	172/10	110जी द0प्र0सं0	भौराकलां	मु0नगर
17	188/10	25ए एक्ट	भौराकलां	मु0नगर
18	189/10	25ए एक्ट	भौराकलां	मु0नगर
19	513/10	302,120बी भादवि	तितावी	मु0नगर
20	1347/10	384, 386, 506 भादवि	सि0ला	मु0नगर
21	559/10	420, 467, 467, 471 भादवि	तितावी	मु0नगर
22	559ए/10	25 ए एक्ट	तितावी	मु0नगर
23	5/11	2/3 गैंगस्टर एक्ट	तितावी	मु0नगर
24	211/11	3/4 गुण्डा एक्ट	तितावी	मु0नगर
25	186/12	386, 342, 323 भादवि	भौराकलां	मु0नगर
26	140/12	110 जी	भौराकलां	मु0नगर
27	179/12	307 भादवि	तितावी	मु0नगर
28	196/13	307 भादवि	भौराकलां	मु0नगर
29	355/13	307 भादवि	कोतवाली	बागपत
30	24/12	3/4 गुण्डा एक्ट	भौराकलां	मु0नगर
31	146/12	110 जी	भौराकलां	मु0नगर
32	25/15	2/3 गैंगस्टर एक्ट	भौराकलां	मु0नगर
33	45/17	307 भादवि	भौराकंला	मु0नगर
34	1/18	307 भादवि	भौराकलां	मु0नगर

जनपद अम्बेडकरनगर/थाना आलापुर

- **25 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित अभियुक्त गिरफ्तार**

दिनांक 18.08.2025 को थाना आलापुर व क्राइम ब्रान्च की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर न्योरी पुल के पास से पुरस्कार घोषित अभियुक्त बब्लू उर्फ इरशाद को गिरफ्तार किया गया।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त शातिर किस्म का अपराधी है, जिसके विरूद्ध जनपद आजमगढ़, अम्बेडकरनगर के विभिन्न थानो में सीएस एक्ट, एनडीपीएस एक्ट, गैंगेस्टर एक्ट आदि के 05 अभियोग पंजीकृत है। गिरफ्तार अभियुक्त थाना आलापुर पर पंजीकृत गैंगेस्टर एक्ट के अभियोग में वांछित चल रहा था, जिसकी गिरफ्तारी हेतु जनपद स्तर से 25 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित था।

इस सम्बन्ध में थाना आलापुर पुलिस द्वारा विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1—बब्लू उर्फ इरशाद निवासी ग्राम डोमपुर थाना अहिरौला जनपद आजमगढ़।

जनपद मीरजापुर/थाना लालगंज

- **20 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित अभियुक्त गिरफ्तार**
- **01 अवैध तमंचा 12 बोर मय जीवित कारतूस बरामद**

दिनांक 17.08.2025 को थाना लालगंज पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर ग्राम तुलसी ओवर ब्रिज के पास से पुरस्कार घोषित अभियुक्त सलमान को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे से 01 अवैध तमंचा 12 बोर मय जीवित कारतूस बरामद हुए।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त शातिर किस्म का अपराधी है, जो थाना लालगंज पर पंजीकृत गैंगेस्टर एक्ट के अभियोग में वांछित चल रहा था, जिसकी गिरफ्तारी हेतु जनपद स्तर से 20 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित था।

इस सम्बन्ध में थाना लालगंज पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1–सलमान निवासी ग्राम फतेहपुर थाना को0चंदौली जनपद चंदौली।

बरामदगी

1–01 अवैध तमंचा 12 बोर मय जीवित कारतूस।

कमिश्नरेट आगरा/थाना कागारौल

- **चोरी की घटना का अनावरण**
- **02 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **चोरी की 01 लाइसेंसी रायफल मय 20 जीवित कारतूस**
- **10 हजार रूपये नगद**
- **सफेद धातु के आभूषण, सिक्के**
- **01 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित कारतूस**
- **01 मोटर साइकिल आदि बरामद**

दिनांक 17.08.2025 को थाना कागारौल व क्राइम ब्रान्च की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर रोझौली नहर, बैमन के पास से 02 अभियुक्तों 1–देवेन्द्र 2–नीरज को गिरफ्तार कर चोरी की घटना का अनावरण किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे/निशादेही से चोरी की 01 लाइसेंसी रायफल मय 20 जीवित कारतूस, 10 हजार रूपये नगद, सफेद धातु के आभूषण, सिक्के, 01 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित कारतूस, 01 मोटर साइकिल आदि बरामद हुए।

उल्लेखनीय है कि दिनांक 04.04.2025 को थाना कागारौल क्षेत्रान्तर्गत अज्ञात चोरो द्वारा चोरी की घटना कारित की गई थी, जिसके सम्बन्ध में थाना कागारौल पर अभियोग पंजीकृत कर घटना के अनावरण के प्रयास किये जा रहे थे। गिरफ्तार अभियुक्तों से बरामद रायफल आदि चोरी की घटना से सम्बन्धित है। गिरफ्तार अभियुक्त शातिर किस्म के अपराधी है, जिसमें अभियुक्त देवेन्द्र के विरूद्ध कमिश्नरेट आगरा व राजस्थान प्रान्त के विभिन्न थानो में हत्या का प्रयास, डकैती, चोरी, धोखाधड़ी, आर्म्स एक्ट आदि के 14

अभियोग एवं अभियुक्त नीरज के विरूद्ध कमिश्नरेट आगरा व राजस्थान प्रान्त के विभिन्न थानो में डकैती, चोरी, आर्म्स एक्ट आदि के 06 अभियोग पंजीकृत है।

इस सम्बन्ध में थाना कागारौल पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1–देवेन्द्र निवासी सुखेपुर थाना कंचनपुर धौलपुर राजस्थान।

2–नीरज निवासी सुखेपुर थाना कंचनपुर धौलपुर राजस्थान।

बरामदगी

1–चोरी की 01 लाइसेंसी रायफल मय 20 जीवित कारतूस।

2–10 हजार रूपये नगद।

3–सफेद धातु के आभूषण, सिक्के।

4–01 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित कारतूस।

5–01 मोटर साइकिल आदि।

जनपद इटावा/थाना बकेवर

- **02 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **चोरी की 01 बुलेरो मैक्सीट्रक**
- **103 पेटी अवैध अंग्रेजी शराब**
- **01 मोबाइल फोन आदि बरामद**

दिनांक 17.08.2025 को थाना बकेवर व क्राइम ब्रान्च की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर हाईवे पर विशाल होटल के पास चेकिंग के दौरान 02 अभियुक्तों 1–मानवेन्द्र उर्फ मन्नू 2–अंकित उर्फ नेता के गिरफ्तार किया गया एंव तीन अन्य अभियुक्त मौके से फरार हो गये, जिनकी गिरफ्तारी के प्रयास किये जा रहे है। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे से चोरी की 01 बुलेरो मैक्सीट्रक, 103 पेटी अवैध अंग्रेजी शराब, 01 मोबाइल फोन आदि बरामद हुए।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त शातिर किस्म के अपराधी हैं, जिसमें अभियुक्त मानवेन्द्र उर्फ मन्नू के विरूद्ध जनपद मथुरा, उन्नाव, कासगंज, इटावा, कमिश्नरेट आगरा के विभिन्न थानो में हत्या का प्रयास, आबकारी एक्ट, गैंगेस्टर एक्ट आदि के 06 अभियोग पंजीकृत है।

इस सम्बन्ध में थाना बकेवर पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1—मानवेन्द्र उर्फ मन्नू निवासी छगनपुरा थाना कोतवाली जनपद मथुरा, हालपता देहतोरा थाना सिकंदरा कमिश्नरेट आगरा।

2—अंकित उर्फ नेता निवासी ग्राम बखर थाना चौबिया जनपद इटावा।

बरामदगी

1—चोरी की 01 बुलेरो मैक्सीट्रक।

2—103 पेटी अवैध अंग्रेजी शराब।

3—01 मोबाइल फोन आदि।

जनपद मुजफ्फरनगर/थाना खालापार

- **02 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **लगभग 30 लाख रूपये (अन्तर्राष्ट्रीय कीमत) के 152 ग्राम अवैध स्मैक**
- **02 मोबाइल फोन आदि बरामद**

दिनांक 18.08.2025 को थाना खालापार पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर बहलना पुल के पास से 02 अभियुक्तों 1—कफील उर्फ कामरान 2—मेहरबान को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे/निशादेही से लगभग 30 लाख रूपये (अन्तर्राष्ट्रीय कीमत) के 152 ग्राम अवैध स्मैक, 02 मोबाइल फोन आदि बरामद हुए।

इस सम्बन्ध में थाना खालापार पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1–कफील उर्फ कामरान निवासी भोले नगर वार्ड नं0 11 थाना फतेहगंज पश्चिमी बरेली।

2–मेहरबान निवासी वार्ड नं0–8 थाना फतेहगंज पश्चिमी बरेली।

बरामदगी

1–लगभग 30 लाख रूपये (अन्तर्राष्ट्रीय कीमत) के 152 ग्राम अवैध स्मैक।

2–02 मोबाइल फोन आदि।

दिनांक 18.08.2025	
प्रेस विज्ञप्ति 28 / 2025	

मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश।

उ0प्र0 स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेंसिक साइंस, लखनऊ में तीन दिवसीय अन्तर्राष्ट्रीय शैक्षणिक शिखर सम्मेलन का उद्घाटन

मा0 मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश श्री योगी आदित्यनाथ जी द्वारा आज दिनांकः 18.08.2025 को उ0प्र0 स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेसिंक साइंस लखनऊ द्वारा आयोजित तीन दिवसीय International Workshop: Dimensions of Cyber Warfare, Multilateral Legal Frameworks, Forensics and Strategic Countermeasures शिखर सम्मेलन का शुभारंभ दीप प्रज्वलित कर किया गया एवं तरकश ड्रोन एवं रोबोटिक्स लैब, पद्मश्री डॉ.लालजी सिंह एडवांस्ड डीएनए डायग्नोस्टिक सेंटर, अटल लाइब्रेरी का उद्घाटन किया गया तथा 75 जिलों के लिए तकनीक युक्त फोरेंसिक वैन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया।

इस अवसर पर **मा0 मुख्यमंत्री जी उ0प्र0** द्वारा तृतीय स्थापना दिवस के अवसर पर UPSIFS परिवार को हार्दिक बधाई देते हुए कहा गया कि सेमिनार केवल आज की आवश्यकता नहीं है बल्कि यह हमारे प्राचीन परम्पराओं में ही निहित है। जब भी ऐसी कोई सभाओं में मंथन होता है तो कुछ न कुछ महत्वपूर्ण तथ्य जरूर निकल कर आता है। उन्होंने देश के विकास पर प्रकाश डालते हुए कहा कि ज्ञान ही सिर्फ एक मात्र विकास का साधन है यदि ज्ञान में कोई बाधा उत्पन्न होती है तो वह भविष्य में संघर्ष का कारण साबित होती है। उन्होंने नैमिषारण मे पुरातन में अठ्ठासी हजार की संख्या में एकत्र हुए संतो के गोष्ठी का भी उल्लेख करते हुए कहा कि आज ठीक उसी प्रकार हम भी यहां एकत्र हुए है और ऐसे मंथन से देश समाज का लाभ एवं विकास होता है।

मा0 मुख्यमंत्री द्वारा फॉरेंसिक साइन्स की आवश्यकता पर प्रकाश डालते हुए कहा कि एआई और रोबोटिक्स जैसी आधुनिक तकनीकियों का मंथन करके ही देश के विकास में सहयोग कर सकेंगे। वर्ष 2017 में उ0प्र0 में फोरेंसिक लैबों की संख्या मात्र 04 थी जो कि अब 12 हो गयी है और 6 निमार्णाधीन है आज इस अवसर पर प्रदेश के जनपदों हेतु 75 फोरेंसिक मोबाईल बैन उपलब्ध करा दिये गये है जिसका लाभ पूरे प्रदेश को होगा। प्रदेश में 2017 के बाद 1587 साइबर थानों की स्थापना एवं साथ ही साइबर हेल्प डेस्क कि भी सुविधा उपलब्ध कराई गयी है।

मा0 मुख्यमंत्री जी ने प्रदेश पुलिस की सभी शाखाओं को यूपीएसआईएफएस में प्रशिक्षण लेने के लिए प्रोत्साहित भी किया तथा उन्होंने कहा कि संविधान द्वारा प्रदत्त ताकतों का प्रयोग हमें देश के विकास में पूर्ण रूप से करना चाहिये ताकि आने वाली पीढियों को नई एवं जटील समस्याओं का सामना न करना पड़े।

मा0 मुख्यमंत्री उ0प्र0 द्वारा UPSIFS के छात्र-छात्राओं के उज्जवल भविष्य की कामना की गयी।

श्री राजीव कृष्णा पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0 कार्यक्रम के उद्घाटन के अवसर पर मुख्य अतिथि मा0 मुख्यमंत्री उ0प्र0 श्री योगी आदित्यनाथ जी एवं प्रमुख्य सचिव गृह श्री संजय प्रसाद जी, उपस्थित अधिकारीगण, मेधावी छात्रों व विशेषज्ञों का आभार व्यक्त करते हुये अपने उद्बोधन में कहा कि अपराध की बदलती प्रकृति, विशेषकर साइबर अपराध, हमें यह बताती है कि विवेचना केवल पारंपरिक तरीकों से नहीं, बल्कि विज्ञान-आधारित साक्ष्यों से ही प्रभावी और निष्पक्ष हो सकती है। BNSS 2023 ने इसे और स्पष्ट कर दिया है अब सात वर्ष से अधिक दंडनीय अपराधों में फॉरेंसिक साक्ष्य का संकलन अनिवार्य है। यह बदलाव हमारी न्याय प्रणाली को पारदर्शी, विश्वसनीय और पीड़ित-केंद्रित बनाएगा।

माननीय मुख्यमंत्री जी के गतिशील नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में फॉरेंसिक इंफ्रास्ट्रक्चर को ऐतिहासिक विस्तार मिला है। प्रत्येक जनपद में पहले से उपलब्ध मोबाइल फॉरेंसिक वैन को और सशक्त करते हुए अब प्रत्येक जिले को एक-एक अतिरिक्त मोबाइल फॉरेंसिक वैन प्रदान की जा रही है। इसी श्रृंखला में, वर्ष 2023 में स्थापित उत्तर प्रदेश राज्य फॉरेंसिक विज्ञान संस्थान, लखनऊ की स्थापना एक मील का पत्थर है। यह संस्थान विश्वस्तरीय शिक्षा और शोध उपलब्ध करा रहा है। इसके छात्र न केवल भारत में बल्कि विदेशों में भी विशेषज्ञ सेवाएँ देकर राज्य और देश का नाम रोशन करेंगे। यह संस्थान मुख्यमंत्री जी की दूरदृष्टि का प्रमाण है, जिसने यूपी को वैश्विक फॉरेंसिक मानचित्र पर स्थापित किया है।

उत्तर प्रदेश पुलिस ने माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में देश के समक्ष अपराध पर जीरो टॉलरेंस का एक अभिनव मॉडल प्रस्तुत किया है और अब तकनीक, फॉरेंसिक विज्ञान एवं साइबर क्राइम में भी देश की अग्रणी पुलिस बनने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रही है।

पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 द्वारा इंस्टीट्यूट ऑफ फोरेंसिक साइंस की समस्त टीम को इस कार्यशाला के आयोजन और मोबाइल फॉरेंसिक वैन के अत्याधुनिक बेड़े के लॉन्च पर टेक्निकल सर्विसेज की समस्त टीम को हार्दिक बधाई दी गयी।

अन्त में पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 द्वारा विश्वास वयक्त करते हुए कहा गया कि उत्तर प्रदेश कानून-व्यवस्था ही नहीं, बल्कि फॉरेंसिक विज्ञान, तकनीकी उन्ययन और साइबर सुरक्षा में भी देश का श्रेष्ठतम पुलिस बल बनेगा।

भारत सरकार के इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अतिरिक्त सचिव श्री अभिषेक सिंह द्वारा भारत की तकनीकी आत्मनिर्भरता की दिशा में उठाए जा रहे कदमों पर प्रकाश डालते हुए कहा गया कि भारत अब विदेशी तकनीकी उत्पादों पर निर्भर नहीं रहना चाहता, बल्कि अपने स्वयं के डिजिटल समाधान विकसित कर रहा है जैसे माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के भारतीय विकल्प। उन्होंने स्थानीय भाषाओं में वॉयस-आधारित सेवाओं, साइबर सुरक्षा के लिए फॉरेंसिक लैब्स की स्थापना, और भारतीय डेटा पर प्रशिक्षित एआई मॉडल्स की आवश्यकता पर बल दिया। उन्होंने कहा कि स्टार्टअप्स जैसे सर्वा, ज्ञानी, और सॉकेट इस दिशा में उल्लेखनीय कार्य कर रहे हैं।

संस्थान के संस्थापक निदेशक डॉ0 जी0के0 गोस्वामी द्वारा संस्थान के मेरिट आधारित प्रवेश प्रणाली पर प्रकाश डालते हुए बताया कि यहाँ प्रवेश केवल राष्ट्रीय स्तर की प्रवेश परीक्षाओं के आधार पर होता है। गत वर्ष की प्रमुख पाठ्यक्रम की कट-ऑफ 92 % रही जो संस्थान की बढ़ती प्रतिष्ठा और आकर्षक प्रतिभा का प्रमाण है। उन्होंने भविष्य की ओर संकेत करते हुए कहा कि वर्तमान समय डिजिटल डायग्नॉस्टिक्स और डिजिटल फॉरेंसिक का है, जहाँ सेवाएँ क्लिक मात्र से उपलब्ध हो जाती हैं। इसी कड़ी में उन्होंने **"फोरेंसिक एज ए सर्विस"** की परिकल्पना भी प्रस्तुत की जिसके माध्यम से जांच, न्याय-प्रक्रिया और वैश्विक सुरक्षा को एक नए स्तर पर ले जाने की संभावना है। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि UPSIFS अपने विद्यार्थियों शिक्षकों और विशेषज्ञों की प्रतिबद्धता से इस परिवर्तन का नेतृत्व करने के लिए पूरी तरह तैयार है।

इस अवसर पर मा0 मुख्यमंत्री जी द्वारा संस्थान के मेधावी बच्चो को टेबलेट वितरित किया गया तथा फॉरेंसिक विषय के पितामह कहे जाने वाले डॉ0 लालजी सिंह के परिजनों से मुलाकात भी की गयी।

कार्यक्रम के दौरान प्रो0 अमित कुमार, डॉ0 एस के जैन, डॉ0 अभिषेक सिंह श्रीमती रूपा, डॉ0 प्रवीण सिन्हा, शैलेश चीरपीटकर, डॉ0 मिनाल माहेश्वरी साह श्री पवन शर्मा, रवि शर्मा तथा जी नरेंद्र नाथ तथा डॉ0 जेपी पांडेय तथा श्री अनुराग यादव द्वारा अपने व्याख्यान दिये गये।

इस अवसर पर प्रमुख सचिव गृह उ0प्र0 शासन, अपर पुलिस महानिदेशक तकनीकी सेवाएं सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारीगण उपस्थित रहें।

उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री
योगी आदित्यनाथ जी
का हार्दिक स्वागत
तीन दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय शिखर सम्मेलन
UPSIFS
C.M. OFFICE
MEDIA U.P.

उत्तर प्रदेश स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ़ फॉरेंसिक साइंस
उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री
योगी आदित्यनाथ जी
का हार्दिक स्वागत
तीन दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय शिखर सम्मेलन

UPSIFS
उत्तर प्रदेश स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ़ फॉरेंसिक साइंस
उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री
योगी आदित्यनाथ जी
का हार्दिक स्वागत
तीन दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय शिखर सम्मेलन

UPSIFS
उत्तर प्रदेश स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ़ फॉरेंसिक साइंस
उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री
योगी आदित्यनाथ जी
का हार्दिक स्वागत
तीन दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय शिखर सम्मेलन

JUSTICE
TRUTH
EVIDENCE
UPSIFS
सर्वेषां न्यायार्थम् विज्ञानम्

DRONES IN HUMANITARIAN & EMERGENCY RESPONSE
SEARCH & RESCUE
DISASTER RELIEF
FIREFIGHTING SUPPORT
DRONES IN SCIENCE, INDUSTRY & FUTURE CITIES
DRONES FOR NATIONAL SECURITY & POLICING
TYPES OF UAV

TYPES OF UAV
THE PRIMARY FOUR TYPES OF DRONES ARE:

S STUDENT
STUDENT
S STUDENT